राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1418/2024

श्याम किशोर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (प्रशासन) निदेशालय स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राज.)।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर।
4. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी टी.बी. क्लिनिक, धौलपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.03.2024

आदेश की दिनांक : 27.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री भूपेन्द्र पारीक, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में टी.बी. क्लिनिक धौलपुर से सेवानिवृत्त हो चुका है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति बीसीजी टेक्निशियन के पद पर दिनांक 24.04.1979 को हुई थी और उसे टी.बी. क्लिनिक, जेलर पदस्थापित किया गया और अंत में उसे टी.बी. क्लिनिक धौलपुर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी ने संतोषजनक सेवायें पूर्ण कीं और दिनांक 30.06.2018 को अपीलार्थी सेवानिवृत्त हो

गया। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई भी जांच लम्बित नहीं है। उनका कथन है कि सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। जबकि वह सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष पूर्ण होने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, जो दिनांक 30.06.2018 को अपीलार्थी सेवानिवृत्त हुआ और 01 जुलाई को अपीलार्थी को प्रदान की जानी चाहिए थी। वित्त विभाग द्वारा भी आदेश दिनांक 25.06.2019 जारी किया गया है जो नियम 2008 के नियम 2010 के तहत अपीलार्थी एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का हकदार है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी पूर्व में ऐसी सेवानिवृत्ति पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि दिये जाने के संबंध में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 12198/2023 एवं सिविल रिट 21/2020 विजय सिंह बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 21.07.2023 जिसमें ऐसी सेवानिवृत्ति पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि दिया जाना उचित माना है और इस प्रकार अपीलार्थी भी एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि दिनांक 01 जुलाई, 2018 को उसकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2018 से पूर्व एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने के कारण एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जावे तथा समस्त पारिणामिक पेंशन परिलाभ आदि प्रदान भी किये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी टी.बी. क्लिनिक धौलपुर से सेवानिवृत्त हो चुका है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति बीसीजी टेक्निशियन के पद पर दिनांक 24.04.1979 को हुई थी और उसे टी.बी. क्लिनिक, जेलर पदस्थापित किया गया और अंत में उसे टी.बी. क्लिनिक धौलपुर पदस्थापित किया गया। सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर

अपीलार्थी को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। जबकि वह सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष पूर्ण होने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार के मामलों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 21/2020 में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2023 जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किया है :–

> *"Hence, looking to the binding effect of above judgment of Hon'ble Apex Court in the case of* ***C.P. Mundinamani (supra)*** *and* ***All India Judges Association (supra),*** *it is held that the petitioners would be entitled to get the benefits of increment falling due on 1st July on account of their conduct for the requisite length of time i.e. one year. The petitioners would be entitiled to get notional payment on 1st July, notwithstanding their superannuation on 30th June.*
>
> *The respondents are directed to consider the case of the petitioners afresh in the light of the observations made hereinabove and thereafter grant notional increment to the petitioners. The petitioners pension would consequently be refixed. The appropriate orders be issued and the arrears of pension be paid to the petitioners within a period of three months from the date of receipt of certitifed copy of this order."*

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने उपरांत सेवानिवृत्ति होने पर एक जुलाई से देय वार्षिक वेतन वृद्धि कार्मिक को नहीं दिया जाना अनुचित माना है। वर्तमान मामले में भी अपीलार्थी संतोषजनक सेवा पूर्ण होने उपरांत राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को एक जुलाई से देय वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी अपील में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी को एक माह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.07.2023 के प्रकाश में नियमानुसार आगामी दो माह की अवधि में अभ्यावेदन को निस्तारित करते हुए एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य